भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2702
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण असम में सड़क नेटवर्क

2702. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के गांवों में ग्रामीण सड़क नेटवर्क , बिजली आपूर्ति और पानी की पहुंच में सुधार के लिए कोई विशेष पहल की जा रही है;

(ख) असम के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम के चाय बागानों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए ग्रामीण संपर्क बढ़ाने के लिए कोई लक्षित कार्यक्रम हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 25 दिसंबर, 2000 को एक विशेष पहल के रूप में शुरू की गई थी , जिसका उद्देश्य राज्यों को वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार , मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, रेगिस्तानी क्षेत्रों (रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में की गई पहचान के अनुसार) , जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा पहचाने गए) में 250+ की आबादी वाली पात्र संपर्कताविहीन बसावटों को, कोर-नेटवर्क के अनुसार, बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने में सहायता करना था।

तद्नन्तर, पीएमजीएसवाई के दायरे में, 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उन्नयन; वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण ; और ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) , उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रू मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए क्रमशः पीएमजीएसवाई- II, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई- III नामक नए कार्यक्रम/घटक जोड़े गए।

इसके अलावा, सरकार ने 25,000 संपर्कताविहीन बसावटों, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं, को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई- IV शुरू किया है। कार्यक्रम के

जनसंख्या मानदंडों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या वाली, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (अनुसूची V जनजातीय क्षेत्र, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ जनसंख्या वाली, और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित) में 100+ जनसंख्या वाली संपर्कताविहीन बसावटे , 2011 की जनगणना के अनुसार , पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

पीएमजीएसवाई की शुरुआत से , असम राज्य में 32,911 किलोमीटर के 9,269 सड़क निर्माण कार्यों और 1,466 पुल निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है , जिनमें से 32,034 किलोमीटर के 9,124 सड़क निर्माण कार्यों और 1,423 पुलों (97% से अधिक) का निर्माण 22,933.67 करोड़ रुपये, राज्यांश सहित, की लागत से पूरा किया जा चुका है।

जहां तक पीएमजीएसवाई-IV का संबंध है, पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत पात्र बसावटों की प्रारंभिक पहचान पूरी हो चुकी है , तथा मंत्रालय प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और तदानुसार स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहा है।

कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क कार्य पूरा करने की समय-सीमा कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 12 माह है। हालाँकि, जहाँ किसी पैकेज में एक से अधिक सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं , वहाँ पैकेज को पूरा करने के लिए दिया गया कुल समय 18 कैलेंडर महीने है । इसी प्रकार, कार्यस्थल की स्थितियों के आधार पर , 25 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुल कार्यों को पूरा करने के लिए 21-24 महीने की अवधि की अनुमति दी गई है। राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा , मंत्रालय परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखने और लंबित मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित निगरानी और समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। मंत्रालय अन्य हितधारकों , जैसे गृह मंत्रालय , पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , राज्य सरकारों के नोडल विभागों , राज्य वन विभागों और निष्पादन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है ताकि परियोजना निष्पादन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके और परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

बिजली एक समवर्ती विषय है और इसलिए, उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/ बिजली उपयोगिता के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि , भारत सरकार ने पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) , एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) , प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) इत्यादि जैसी योजनाओं के तहत राज्यों के प्रयासों में सहायता की है , और वर्तमान में उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद करने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कार्य कर रही है। इस योजना के तहत, असम राज्य के लिए 3,394.65 करोड़ रुपये की राशि के बिजली आपूर्ति बुनियादी ढांचे संबंधी कार्य और 4,049.54 करोड़ रुपये की राशि के स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत छूटे हुए मकानों का ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। आज तक, असम राज्य में 1,27,111 मकानों के विद्युतीकरण के लिए 785.55 करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है , इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना , अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 1 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित की जा रही है , जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके बुनियादी सुविधायुक्त 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना है। सरकार ने बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण मकानों

के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है। आज तक , असम राज्य को 29,87,868 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसके साथ इसकी स्थायी प्रतीक्षा सूची (एसईसीसी और आवास+ 2018 सूची दोनों) से पूर्णत: लाभ प्रदान किया गया है। कुल आवंटित लक्ष्य में से , 28,80,057 मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है, और पीएमएवाई-जी के तहत 20,74,118 मकानों का निर्माण पूर्ण हो गया हैं। पीएमएवाई-जी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं पूरा करने वाले मकानों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करता है। मंत्रालय का लक्ष्य सभी पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले लाभों की संतृप्ति सुनिश्चित करना है। असम राज्य में , अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के तहत 21,25,950 मकानों को बिजली कनेक्शन और 16,86,943 मकानों को पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) पीएमजीएसवाई को एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है , जिसमें 'बसावट' को इकाई माना गया है, और इसका उद्देश्य पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे कृषि और गैर-कृषि उत्पादन केंद्रों के आसपास रहने वाली पूरी आबादी के लिए पहुँच सुनिश्चित हो सके। पिछड़े और सीमांत क्षेत्रों में समावेशी और न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए , पीएमजीएसवाई-IV को दो प्रमुख समावेश-केंद्रित पहलों के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है , नामत:

(क) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए): 2011 की जनगणना के अनुसार , आकांक्षी जिलों में 500+ आबादी और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाली बसावटों, या 250+ श्रेणी में 50+अनुसूचित जनजाति आबादी वाली बसावटों को पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय): पीएमजीएसवाई- IV के अंतर्गत 500+ आबादी और 40% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाली बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है।

****